



भारत

का

राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३ - उप-खण्ड (ii)

PART II - Section 3 - Sub - section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2006/ माघ 3, 1927

No. 70]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2006/MAGHA 3, 1927

## कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

**का.आ. 74(अ).** - तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित क्षेत्र को तटीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है, नामता: :-

“समुद्र, नदियों, क्रीकों तथा बैकवाटर की हाई टाइड लाइन (एच टी एल) से दो किलोमीटर की दूरी के भीतर की भूमि का क्षेत्र।”

**टिप्पणि :- 1.** नदियों, क्रीकों तथा बैकवाटर के साथ-साथ परिसीमा को दर्शाना उस सीमा तक शासित होगा जहां तक ज्वारीय प्रभाव देखा जाता है तथा जहां लवणता सांद्रण प्रति हजार 5 भाग (पी पी टी) से कम नहीं है। इस उद्देश्य के लिए लवणता को वर्ष के सबसे सूखी अवधि के दौरान मापा जाएगा।

**टिप्पणि :- 2.** चिलका झील तथा पुलिकट झील जैसे परिस्थिति भंगुर क्षेत्रों के मामले में, तटवर्ती क्षेत्र झीलों की सीमा से दो किलोमीटर तक की दूरी तक बढ़ाया जाएगा।

[ फा.सं. 33036/5/2005-मा.(टी.-2) ]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry,  
Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2006

**S.O. 74 (E).** -- In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) of Section 2 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) the Central Government hereby specifies the following area to be coastal area for the purposes of the said Act, namely :-

“Area of land with in a distance of two kilometers from the High Tide Line (HTL) of seas, rivers, creeks and backwaters.”

**Note :- 1.** The delineating boundaries along rivers, creeks and backwaters shall be governed by the distance upto which the tidal effects are experienced and where salinity concentration is not less than 5 parts per thousand (ppt). For this purpose the salinity measurements shall be made during the driest period of the year.

**Note:- 2.** In the case of ecologically fragile areas such as Chilka Lake and Pulicat Lake, the coastal area shall extend upto a distance of two kms. from the boundary of the lakes.

[F. No. 33036/5/2005-Fy(T-2)]  
AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.